भारत सरकार
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
उपभोक्ता मामले विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1998
जिसका उत्तर शुक्रवार 23 दिसम्बर, 2022 को दिया जाएगा

खाद्य मुद्रास्फीति में वृद्धि

1998. श्री निरंजन बिशी:
श्री मल्लिकार्जुन खरगे:
श्री नरेश बंसल:

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या लगातार उच्च खाद्य मुद्रास्फीति ने गरीबों पर प्रतिकूल प्रभाव डाला हैऔर देश में कुपोषण को बढ़ावा दिया है;
(ख) यदि हां, तो खाद्य मुद्रास्फीति विशेष रूप से सब्जी और अनाज उपसमूह में और अनाजों में अनियंत्रित होने के क्या कारण हैं;
(ग) क्या सरकार का उपभोक्ता वस्तुओं के जमाखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का विचार है;
(घ) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या उपाय किए हैं और बेमौसम बारिश के कारण चावल और अन्य वस्तुओं के उत्पादन में अनुमानित कमी को देखते हुए खाद्य मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए अन्य क्या-क्या कदम उठाए हैं?

उत्तर
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री
(श्री अश्विनी कुमार चौबे)

(क) और (ख): उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक (सीएफपीआई) द्वारा मापी गई खाद्य मुद्रास्फीति अक्टूबर, 2022 में 7.01% से घटकर नवंबर, 2022 में 4.67% हो गई। नवंबर, 2022 में सब्जियों और अनाज के लिए मुद्रास्फीति दर क्रमशः (-) 8.08% और 12.96% थी। सरकार एनएफएसए, 2013 के तहत लाभार्थियों के लिए अत्यधिक रियायती दर पर मुख्य अनाज नामत: गेहूं और चावल वितरित कर गरीब और कमजोर परिवारों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करती है। कुपोषण की समस्या को दूर करने के लिए सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) और वर्ष 2024 तक चरणबद्ध रूप से सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में भारत सरकार की अन्य कल्याणकारी स्कीमों के माध्यम से पोषण युक्त चावल की आपूर्ति की स्वीकृति दी है। इसके अतिरिक्त, कोविड के कारण उत्पन्न संकट को कम करने के लिए, सरकार एनएफएसए के अतिरिक्त अप्रैल 2020 से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेएवाई) के तहत प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलोग्राम अतिरिक्त खाद्यान्न नि:शुल्क वितरित कर रही है।

(ग) और (घ) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 और कालाबाजारी की रोकथाम और आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम, 1980, आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन, आपूर्ति और वितरण और कालाबाजारी, जमाखोरी और मुनाफाखोरी जैसे कदाचारों के नियंत्रण के लिए लागू किए गए हैं।

उपभोक्ता मामले विभाग, देश भर में राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के द्वारा केंद्रीय सहायता से स्थापित 410 मूल्य निगरानी केन्द्रों के माध्यम से प्रस्तुत की गई 22 आवश्यक खाद्य वस्तुओं की दैनिक खुदरा और थोक कीमतों की निगरानी करता है। कीमतों के रूझान को ध्यान में रखते हुए, सरकार आवश्यक खाद्य वस्तुओं की घरेलू उपलब्धता बढ़ाने और उनकी कीमतों को स्थिर बनाने तथा पूरे भारत के उपभोक्ताओं के लिए उन्हें कम कीमत पर सुलभ बनाने के लिए समय-समय पर विभिन्न उपाय करती है। इन उपायों में-, अन्य बातों के साथ-साथ कीमतों में नरमी लाने के लिए बफर से रिलीज, स्टॉक सीमाओं का अधिरोपन; जमाखोरी रोकने के लिए संस्थाओं द्वारा घोषित स्टॉक की निगरानी तथा आयात शुल्क को युक्तिसंगत बनाना, आयात कोटा में परिवर्तन, वस्तुओं के निर्यात पर प्रतिबंध जैसे व्यापार नीति के विभिन्न साधनों में अपेक्षित परिवर्तन करना भी शामिल है।

मूल्य वृद्धि को नियंत्रित करने और देश की समग्र खाद्य सुरक्षा का प्रबंधन करने के लिए, सरकार ने टूटे चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया और 1.1.2019 से उसना चावल को छोड़कर गैर-बासमती चावल पर 20% निर्यात शुल्क लगाया। 9 सितंबर, 2022; 13 मई 2022 से भारतीय ड्यूरम गेहूं के निर्यात को प्रतिबंधित कर दिया; और आटा (गेहूं) के निर्यात को 12 जुलाई, 2022 से गेहूं के निर्यात पर अंतर-मंत्रालयी समिति (आईएमसी) की सिफारिश के अधीन कर दिया।

दालों की घरेलू उपलब्धता को बढ़ाने और इनकी कीमतों में नरमी लाने के लिए, तूर और उड़द के आयात को दिनांक 31.03.2023 तक 'मुक्त श्रेणी' के अंतर्गत रखा गया है और मसूर पर मूल आयात शुल्क को कम करके दिनांक 27.07.2021 से शून्य कर दिया गया है तथा मसूर के आयात पर कृषि-उपकर को कम करके दिनांक 13.02.2022 से 31.03.2023 तक शून्य कर दिया गया है। तूर के संबंध में जमाखोरी और प्रतिबंधित व्यापार परिपाटियों की रोकथाम के लिए, सरकार ने 12 अगस्त, 2022 को सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3(2) (ज) और 3(2) (झ) के तहत तूर के स्टॉकधारकों द्वारा स्टॉक प्रकटीकरण को लागू करने और साथ ही स्टॉक की निगरानी और सत्यापन के लिए एक निर्देश जारी किया था।

प्याज की कीमतों को स्थिर करने के लिए, सरकार ने चालू वर्ष (2022-23) में मूल्य स्थिरीकरण कोष (पीएसएफ) बफर स्टॉक के लिए 2.51 लाख मीट्रिक टन की एक रिकॉर्ड खरीदारी की है। कीमतों में नरमी लाने के लिए, प्रमुख खपत केन्द्रों को स्टॉक का लक्षित निपटान सितम्बर, 2022 से आरंभ है। बाजार निपटान के अलावा खुदरा उपभोक्ताओं को प्याज उपलब्ध कराने के लिए राज्य और सरकारी/सहकारी खुदरा एजेंसियों को 8 रुपये प्रति किलोग्राम की रियायती दर पर प्याज की पेशकश की गई है। दिनांक 20.12.2022 तक, बफर से कुल 1.82 लाख एमटी प्याज जारी किया जा चुका है।

खाद्य तेलों की कीमतों को नियंत्रित रखने के लिए सरकार ने कच्चे पॉम तेल, कच्चे सोयाबीन तेल और कच्चे सूरजमुखी के तेल पर मूल शुल्क को 2.5% से कम करके शून्य कर दिया और इन तेलों पर कृषि उपकर को 5% कर दिया है। रिफाइंड सोयाबीन तेल एवं रिफाइंड सूरजमुखी तेल पर मूल शुल्क को 32.5% की विगत दर से कम करके 17.5% कर दिया गया और रिफाइंड पॉम तेल पर 17.5% से कम करने 12.5% कर दिया गया है। सरकार ने रिफाइंड पॉम तेल के मुक्त आयात को दिनांक 31.12.2022 तक की अवधि के लिए विस्तारित भी किया है। इसके अतिरिक्त, सरकार ने 31 दिसम्बर 2022 तक की अवधि के लिए खाद्य तेल और तिलहनों पर स्टॉक सीमा अधिरोपित की है। तत्पश्चात् सरकार ने वैश्विक खाद्य तेल की कीमतों में गिरावट के बीच आपूर्ति श्रृंखला को निर्बाध बनाने के लिए 2 नवंबर 2022 से खाद्य तेल कंपनियों की बड़ी श्रृंखला की खुदरा और थोक विक्रेताओं को स्टॉक सीमा आदेश से छूट दी है। सरकार ने वित्तीय वर्ष 2022-23 और 2023-24 के लिए शून्य आयात शुल्क तथा शून्य कृषि-उपकर पर 20 एलएमटी कच्चे सोयाबीन तेल तथा 20 एलएमटी कच्चे सूरजमुखी के तेल के आयात के लिए टैरिफ दर कोटा (टीआरक्यू) के आबंटन के लिए अधिसूचना भी जारी की है।

******